

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2025]	चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक २ सितम्बर, २०२५
-	(11 भाद्रपद, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु पृष्ठ

भाग I अधिनियम

कुछ नहीं

भाग II अध्यादेश

कुछ नहीं

भाग III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या का०आ० 72/के०अ० 53/1972/धा० 64/2025, दिनांक 2 सितम्बर, 2025— 3053—3090 हरियाणा वन्य जीव (संरक्षण) नियम, 2025.

भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं

भाग—।।।

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 सितम्बर 2025

संख्या का०आ० 72 / के०अ० 53 / 1972 / धा० 64 / 2025.— वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 64 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के . राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

ये नियम हरियाणा वन्य जीव (संरक्षण) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

- ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। (2)
- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-(1) 2.

परिभाषाएं ।

- "अधिनियम" से अभिप्राय है, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53);
- "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, अध्यक्ष, राज्य वन्य जीव बोर्ड: (ख)
- ''वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय)'' से अभिप्राय है, क्षेत्रीय वन मण्डल का प्रभारी (ग) अधिकारी:
- "मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी" से अभिप्राय है, वन्य जीव मण्डल का प्रभारी (ਬ) अधिकारी-
- "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप; (ङ)
- "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार; (च)
- "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्राय है, अनुज्ञप्ति का धारक; (छ)
- "कार्यालय प्रभारी" से अभिप्राय है, किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का प्रभारी; (ज)
- ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, अधिनियम की अनुसूची;
- ''धारा'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा;
- इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।
- बोर्ड का कोई भी गैर-सरकारी सदस्य, किसी भी समय व्यक्तिगत रूप से अपने बोर्ड से त्याग पत्र हस्ताक्षराधीन अध्यक्ष को सम्बोधित लिखित में त्यागपत्र दे सकता है और ऐसी रिक्ति नई नियुक्ति से भरी जाएगी।

धारा 64(2)(ज)।

- बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों के त्यागपत्र को इसके स्वीकृत होने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। त्यागपत्र वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध में पावती के अधीन प्रस्तुत किया जाएगा।
- सरकार, ऐसी जांच के पश्चात, जैसी वह ठीक समझे, बोर्ड के किसी भी सदस्य को (पदेन सदस्यों को छोड़कर) उसके पद से हटा सकती है, यदि वह,-

बोर्ड से हटाना धारा 64(2)(ज)।

- विकत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है:
- बोर्ड की लगातार तीन से अधिक बैठकों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपरिथत रहता (ख)
- दिवालिया घोषित कर दिया गया है: (ग)
- किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता शामिल है: (ਬ)
- सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है: (ङ)
- (च) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया कि उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक हो गया है: या
- उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे एक सदस्य के रूप में उसके (छ) कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना है;
- उसने दुर्व्यवहार किया है या घोर कदाचार के कार्य में लिप्त रहा है। (ज)

अंतरिम रिक्ति का भरा जाना धारा 6 (2)।

5. जब कभी भी बोर्ड के किसी गैर—सरकारी सदस्य को पद से हटा दिया जाता है या वह ऐसे रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो सरकार, रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकती है। इस प्रकार नामित व्यक्ति, उस सदस्य के कार्यकाल की केवल शेष अवधि के लिए ही पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है।

कतिपय मामलों में जंगली जानवरों का शिकार धारा 11(1) (ख) और 12(खख)। 6. जब कभी भी अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई जंगली जानवर, मानव जीवन के लिए खतरनाक पाया जाता है या इस प्रकार निःशक्त या ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, जो असाध्य है, तो कोई भी व्यक्ति मामले की सूचना सम्बन्धित जिले के उपायुक्त या वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) या पुलिस अधीक्षक को दे सकता है, जो फिर लिखित में उसकी सूचना मुख्य वन्य प्राणी वार्डन को देगा। मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, तब, मामले में अधिनियम की धारा 11 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) में उपबंधित रीति में कार्रवाई करेगा।

विशेष प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा—पत्र जारी करना धारा 12। 7. अधिनियम की धारा 12 के उपबन्धों के अधीन विशेष प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा—पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन, मुख्य वन्य जीव वार्डन को किया जाएगा। अधिनियम के इस उपबन्ध के अधीन विशेष प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा—पत्र, आवेदन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव वार्डन की सन्तुष्टि होने पर प्रदान किया जाएगा। तथापि, अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (घ) के अधीन अनुमित, केवल सरकार की पूर्वानुमित से ही दी जाएगी। अनुमितयाँ, अधिनियम की अनुसूची—1 में दिए गए जानवरों की दशा में, 50,000/— रूपए (पचास हजार रूपये) फीस के भुगतान पर और अन्य मामलों में 10000/— (दस हजार रूपए) की फीस के भुगतान पर दी जाएंगी। अनुज्ञा—पत्र में मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अधिकथित कोई भी अन्य शर्त बाध्यकारी होगी, जिसमें असफल रहने पर मुख्य वन्य जीव वार्डन किसी ऐसे अनुज्ञा—पत्र /अनुमित को रद्द कर सकता है। अधिनियम की धारा 12 के अधीन जारी किया गया अनुज्ञा—पत्र, अनुज्ञा—पत्र में यथा वर्णित अवधि और विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए ही मान्य होगा।

विशेष प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा—पत्र प्रदान करना धारा 17 (ख)।

- 8. (1) कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (ख) के अधीन किसी वन भूमि या विनिर्दिष्ट क्षेत्र से किसी पौधे को तोड़ना, जड़ से उखाड़ना, प्राप्त करना, ढोना या एकत्रित करना चाहता है, तो वह अनुज्ञा—पत्र प्रदान करने हेतु प्ररूप—I में मुख्य वन्य जीव वार्डन को आवेदन करेगा।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, मुख्य वन्य जीव वार्डन, ऐसी जांच, जो वह उचित समझे, करने उपरान्त, मामले को अपनी सिफारिशों सिहत, आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सरकार को भेजेगा। यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक को फीस के रूप में 5000/— रूपए (पाँच हजार रूपये) की राशि मुख्य वन्य जीव वार्डन, हरियाणा के पक्ष में राजकोष में जमा करवानी होगी।
- (3) मुख्य वन्य जीव वार्डन, फीस जमा होने के उपरान्त, उस क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करते हुए, जहां से विनिर्दिष्ट पौधों को तोड़ा जाना है, जड़ से उखाड़ना है, प्राप्त करना है, एकत्रित करना है या ढुलाई करनी है और ऐसे अनुज्ञा—पत्र की वैधता की अविधको विनिर्दिष्ट करते हुए, **प्ररूप—II** में आवश्यक अनुज्ञा—पत्र जारी करेगा।
- (4) यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो मुख्य वन्य जीव वार्डन लिखित रूप में इसके कारण बताते हुए आवेदक को सूचित करेगा।

विनिर्दिष्ट पौधों की खेती के लिए अनुज्ञप्ति धारा 17 (ग)।

- 9. (1) किसी भी विनिर्दिष्ट पौधे की खेती करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, मुख्य वन्य जीव वार्डन या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को **प्ररूप—III** में अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन करेगा।
- (2) यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवेदक को राजकोष में मुख्य वन्य जीव वार्डन के पक्ष में फीस के रूप में 5000/— रूपये (पांच हजार रूपये) की राशि जमा करवानी होगी।
- (3) मुख्य वन्य जीव वार्डन, विनिर्दिष्ट फीस के जमा होने के उपरान्त **प्ररूप–IV** में आवश्यक अनुज्ञप्ति जारी करेगा।
- (4) इस नियम के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति में, खेती के क्षेत्र, शर्तों, यदि कोई हों, को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके अधीन अनुज्ञप्तिधारी किसी विनिर्दिष्ट पौधे की खेती करेगा।
- (5) यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी लिखित रूप में इसके कारणों को बताते हुए आवेदक को सूचित करेगा।

विनिर्दिष्ट पौधों का व्यापार 17 (घ)।

- 10. (1) किसी भी विनिर्दिष्ट पौधे या उसके भाग या उसके व्युत्पाद के व्यवहारी के रूप में कारोबार अथवा व्यवसाय शुरू करने या चलाने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, मुख्य वन्य जीव वार्डन या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप—V में अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन करेगा।
- (2) यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवेदक को राजकोष में मुख्य वन्य जीव वार्डन के पक्ष में फीस के रूप में 12000/— रूपए (बारह हजार रूपए) की राशि जमा करवानी होगी।
- (3) मुख्य वन्य जीव वार्डन, आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट फीस जमा करवाने के बाद, **प्ररूप–VI** में, आवश्यक अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

- (4) यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो मुख्य वन्य जीव वार्डन लिखित रूप में इसके कारणों को बताते हुए आवेदक को सूचित करेगा।
- (5) (i) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, बिक्री के समय, क्रेता को एक बिल या नकद पर्ची जारी करेगा और ऐसे बिल या नकद पर्ची में निम्नलिखत विवरण शामिल होंगे, अर्थात:—
 - (क) अनुज्ञप्तिधारी का नाम;
 - (ख) अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पता और कारबार का स्थान;
 - (ग) अनुज्ञप्ति संख्या;
 - (घ) बेची गई वस्तू का विवरण;
 - (ड) उसका बिक्री मृल्य;
 - (च) बिक्री की तिथि;
 - (छ) अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर;
- (ii) प्रत्येक बिल / नकद पर्ची दोहरी प्रति में और क्रमानुसार / क्रमांकित होगी। प्रतिलिपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी जाएगी और मूल प्रति क्रेता को दी जाएगी।
- 11. जहां नियम 10 के उप—नियम (1) के अधीन जारी या नवीनीकृत की गई अनुज्ञप्ति / जारी किया गया अनुज्ञा—पत्र खो जाता है या गलती से नष्ट हो जाता है, तो मुख्य वन्य जीव वार्डन अनुज्ञप्तिधारी से आवेदन प्राप्त होने पर, 500/—रूपये (पांच सौ रूपए) की फीस का भुगतान होने पर उसे डुप्लिकेट अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

डुप्लिकेट अनुज्ञप्ति जारी करना।

12. (1) अधिनियम की धारा 18 के अधीन अभ्यारण्य के रूप में किसी क्षेत्र की जारी की गई अधिसूचना से प्रभावित कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 19 या 36क की उप—धारा (2) या धारा 36ग की उप—धारा (2) के अधीन अपने अधिकारों की प्रकृति और सीमा का उल्लेख करते हुए प्ररूप—VII में एक लिखित दावा दायर कर सकता है।

निर्धारित प्ररूप में दावा

धारा २१ (ख)।

- (2) उप—नियम (1) के अधीन किए गए दावे की प्राप्ति पर, कलक्टर, दावाकर्ता को प्ररूप—VIII में एक नोटिस देगा, जिसमें उसे या तो वैयक्तिक रूप से या उसकी ओर से उस द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंट के माध्यम से ऐसे स्थान, समय और ऐसी तिथि, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, को उपस्थित होने और अपने दावे के समर्थन में, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देगा।
 - (3) दावा नोटिस पर निर्णय कलक्टर द्वारा तीस दिन के भीतर लिया जाएगा।
- 13. (1) अधिनियम की धारा 28 के अधीन जारी अनुज्ञा—पत्र में निम्नलिखित विवरणों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुज्ञा–पत्र जारी करने संबंधी सामान्य

शर्ते धारा 28(2)।

- (क) प्रवेश का प्रयोजन;
- (ख) ठहरने की अवधि;
- (ग) क्षेत्रों, जिनमें जाने की अनुमति है;
- (घ) स्थान, जहां शिविर अनुमत किया गया है;
- (ड्) मार्गदर्शकों की नियुक्ति; तथा
- (च) कोई अन्य ब्यौरे / शर्तें, जो मुख्य वन्य प्राणी वार्डन उचित समझे।
- (2) यदि कोई व्यक्ति अपने अनुज्ञा—पत्र के अनुमति पत्र में उल्लिखित निबन्धनों तथा शर्तों की अनुपालना नहीं करता है, तो मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अनुज्ञा—पत्र को रद्द किया जा सकता है।
- (3) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ मुख्य वन्य जीव वार्डन के पक्ष में एक खजाना चालान या बैंक रसीद / या नकद रसीद संलग्न की जाएगी, जिसमें फीस का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम संख्या	फीस तथा टैरिफ	भारतीय (रूपए में)	विदेशी (रूपये में)					
	प्रवेश शुल्क							
1	वयस्क	50	200					
	बालक(5—12 वर्ष)	30						
2	वाहन के लिए सड़क फीस	100	100					
3	कैमरा							
	क. स्टिल	50	100					
	ख. सिनेमा	2500	5000					

अग्नि आयुध रखने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण धारा 34 और 35(8)।

- 14. (1) अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के दस किलोमीटर के भीतर रहने वाला और आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम 54) के अधीन हथियार रखने हेतू प्रदत्त आयुध अनुज्ञप्ति रखने वाला या उस अधिनियम के उपबन्धों से छूट प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्षेत्र की घोषणा से एक मास के भीतर मुख्य वन्य जीव वार्डन या मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप—IX में उसके नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- (2) उप—िनयम (1) के अधीन आवेदन के साथ मुख्य वन्य जीव वार्डन के पक्ष में के भुगतान की एक खजाना चालान या बैंक रसीद या नकद रसीद, सलंग्न की जाएगी। फीस के रूप में 1200 / रूपए (केवल एक हजार दौ सौ रूपए)
- (3) उप—िनयम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का प्रभारी, ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करने के बाद, तीन मास की अविध के भीतर मामले को पंजीकरण के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन या मुख्य वन जथा वन्य जीव संरक्षक / मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी को भेजेगा, जो **प्ररूप**—X में आवेदक का नाम तथा अन्य ब्यौरे पंजीकृत करेगा।
- (4) जब कभी भी कोई अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध करता है, तो मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, उस संबंध में जांच करेगा और यदि, वह संतुष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी ने एक से ज्यादा बार उक्त अपराध किया है, तो वह ऐसे कदम उठा सकता है, जो वह आयुध अधिनियम, 1959 (1959 काकेन्द्रीय अधिनियम 54) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति को रद्द करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी को अनुशंसा के लिए आवश्यक समझे।
- (5) जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी अपने आयुध को विक्रय, उपहार या अन्यथा के माध्यम से किसी व्यक्ति को अन्तरित करता है, तो वह ऐसे अन्तरण के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के प्राधिकृत प्रभारी अधिकारी को उसके बारे में सूचना देगा।
- (6) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपने निवास स्थान को उक्त दस किलोमीटर के भीतर या उक्त दूरी से परे, किसी दूसरे स्थान पर बदलता है, तो वह नए निवास स्थान पर बदलने के एक पखवाड़े के भीतर, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के प्राधिकृत प्रभारी अधिकारी को नए पते की सूचना देगा।
- (7) जब अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि, **प्ररूप—XI** में इस तथ्य की सूचना मुख्य वन्य जीव वार्डन को देगा।
- (8) मुख्य वन्य जीव वार्डन, जाँच करने उपरान्त, जैसा वह उचित समझे,रजिस्टर में व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की अनुमित देगा और संबंधित व्यक्ति को, उसके नाम के पंजीकरण के संबंध में सूचित करेगा।

चर्म प्रसाधन या प्राणी वस्तु बनाना धारा ४४।

वन्य प्राणी

आदि का

परिवहन

धारा ४८ क।

- 15. (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति—धारक चर्म पूरक (टैक्सिडर्मिस्ट) या अनुज्ञप्तिधारक विनिर्माता, ट्रोफी या प्राणी वस्तु को वापस करते समय, उक्त ट्रोफी या प्राणी वस्तु के स्वामी को एक वाउचर जारी करेगा।
 - (2) प्रत्येक वाउचर में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थातः
 - (क) वाउचर जारी करने की तिथि:
 - (ख) वसूली गई या वसूली जाने वाली राशि;
 - (ग) वाउचर जारी करने वाले चर्म पूरक (टैक्सिडर्मिस्ट) / विनिर्माता का नाम और पता;
 - (घ) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे वाउचर जारी किया गया है;
 - (ङ) क्या अधिनियम की धारा 40 या धारा 44 के अधीन किसी असंसाधित ट्रोफी / ट्रोफी / प्राणी वस्तु को घोषित करने की आवश्यकता थी और यदि हां, तो क्या इसे घोषित किया गया है;
 - (च) वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञप्तिधारी चर्म पूरक (टैक्सिडर्मिस्ट) / विनिर्माता के हस्ताक्षर;
 - (छ) उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसे वाउचर जारी किया गया है।
- (3) नियम 15 के उप—नियम (1) में निर्दिष्ट, विक्रय के समय अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी को अभ्यर्पित की गई प्रत्येक अनुमति भी पूर्वोक्त डुप्लिकेट प्रतियों के साथ संलग्न की जाएगी।
- **16.** (1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी धारा 44 के अधीन मुख्य वन्य जीव वार्डन की पूर्व अनुमित के सिवाए राज्य के भीतर किसी वन्य प्राणी, प्राणी वस्तु, ट्रोफी या उससे व्युत्पन्न असंसाधित ट्रोफी या विनिर्दिष्ट पौधों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन नहीं करेगा।
- (2) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन, **प्ररूप—**XII में किया जाएगा और उसके साथ 500 / रूपए (पांच सौ रूपये) की फीस संलग्न की जाएगी।
- (3) उप–नियम (2) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, मुख्य वन्य जीव वार्डन, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, और आवेदन के प्राप्त होने की तिथि से सात दिन की अविध के भीतर, या तो अनुमित प्रदान करेगा या अनुमित प्रदान करने से इनकार करेगाः

परन्तु ऐसी कोई भी अनुमति, तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक प्राधिकृत अधिकारी की संतृष्टि न हो जाए कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राणी या प्राणी वस्त्, ट्रोफी या असंसाधित ट्रोफी विधिपूर्वक अर्जित की गई है।

- जहां मुख्य वन्य जीव वार्डन अनुमति प्रदान करने से इनकार करता है, तो वह ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा और इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों की एक प्रति अनुमित के लिए आवेदन करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित की जाएगी।
 - उप-नियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुमति, प्ररूप-XIII में होगी।
- नियम 15 में निर्दिष्ट वाउचर, तीन प्रतियों में और क्रमानुसार क्रमांकित होंगे। 17. (1)

वाउचरों का रखरखाव।

- वाउचर की दोहरी और तिहरी प्रति, अनुज्ञप्तिधारक व्यवहारी, चर्मपूरक टैक्सिडर्मिस्ट या अनुज्ञप्तिधारक विनिर्माता द्वारा रखी जाएंगी और वाउचर की मूल प्रति नियम 15 के उप-नियम (2) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट चर्मपूरक (टैक्सिडर्मिस्ट) और अनुज्ञप्तिधारक विनिर्माता को दी जाएगी।
- प्रत्येक रिक्त वाउचर वाली पुस्तिका को, उसके प्रयोग में लाने से पूर्व ऐसी पुस्तिका में स्टाम्प पर उसके आद्यक्षर करने के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन को प्रस्तुत की जाएगी।
- प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक व्यवहारी, अनुज्ञप्तिधारक चर्मपूरक (टैक्सिडर्मिस्ट) या अनुज्ञप्तिधारक विनिर्माता, उसके द्वारा रखी गई वाउचरों की दोहरी प्रतियों को मासिक आधार पर, प्रत्येक मास के सातवें दिन से पहले, अधिकारी को भेजेगा।
- जहां कही भी अधिनियम की धारा 50 के अधीन कोई मांस, असंसाधित ट्रोफी, विनिर्दिष्ट पौधे या उसका कोई भाग या व्युत्पन्न जब्त किया जाता है, तो वहां मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी, निम्नलिखित रीति में उसके निपटान की व्यवस्था कर सकता है:-

जब्त पश उत्पाद का निपटान धारा 50 (6)।

- मुख्य वन्य प्राणी वार्डन या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, आदेश द्वारा ऐसे मांस, असंसाधित ट्रोफी, विनिर्दिष्ट पौधे या उसके किसी भाग या व्युत्पन्न के, ऐसे स्थान और ऐसी तिथि और समय पर, जैसा आदेश में उल्लिखित किया जाए, भरमन के आदेश दे सकता है;
- भरमन, इस प्रयोजन के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा गठित समिति की उपस्थिति में किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात:-
 - ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा रखने वाला कोई अधिकारी, जो मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो;
 - कोई अधिकारी, जो पशु चिकित्सक की पदवी से नीचे का न हो; (ii)
 - कोई अधिकारी / कर्मचारी, जो वन्य जीव निरीक्षक की पदवी से नीचे का न
 - स्थानीय ग्राम पंचायत का एक प्रतिनिधि। (iv)
- समिति, भरमन के दस दिन की अवधि के भीतर भरमन की रिपोर्ट मुख्य वन्य प्राणी वार्डन को प्रस्तत करेगी।
- कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 55 के खण्ड (ग) के अधिन नोटिस देने का इरादा रखता है। मुख्य वन्य जीव वार्डन या सम्बन्धित मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी को कथित अपराध और शिकायत करने के अपने इरादे के बारे में प्ररूप-XIV में कम से कम साठ दिन का नोटिस देगा।

अपराधों के संज्ञान हेतु नोटिस धारा 55 (ग)।

वन्य जीव (संरक्षण) हरियाणा, नियम, 1974 इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं:--

निरसन और व्यावृत्ति ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

प्ररूप —I *{ देखिए नियम 8(1) }*

विनिर्दिष्ट पौधों को तोड़ने, जड़ से उखाड़ने, प्राप्त करने, एकत्रित करने या ढोने के लिए अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन।

सेवा में				
	मुख्य वन्य जीव वार्डन,			
	हरियाणा ।			
1.	आवेदक का नामः			
2.	पेशाः			
3.	पताः			
4.	प्रयोजन, जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र अपेक्षित हैः			
5.	अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा—पत्र अपेक्षित है			
	(एक वर्ष से अधिक नहीं):			
6.	विनिर्दिष्ट पौधे का नाम, जिसके लिए अनुज्ञा—पत्र अपेक्षित है			
7.	क्षेत्र, जहां से विनिर्दिष्ट पौधे प्राप्त करना अपेक्षित है			
8.	स्थान का नाम, जहां से विनिर्दिष्ट पौधे का परिवहन किया जान	ा है	_	
	मैंने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का	केन्द्रीय अधिनियम 53) तथा	इसके अधीन	बनाए गए
नियमों व	को पढ़ लिया है और मैं इनका पालन करने का वचन देता हूं।			
स्थान				
दिनांक_				

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप —II { देखिए नियम 8(3) } विनिर्दिष्ट पौधों को तोड़ने, जड़ से उखाड़ने या प्राप्त करने या ढोने हेतु अनुज्ञा—पत्र।

अनुज्ञा पत्र संख्या		दिनांक		देन	1			
वन्य जीव	(संरक्षण) अधिनियम,	1972 (1972	का केन्द्रीय	अधिनियम	53) या इ	सके अधीन	बनाए गए	र नियमों के
उपबन्धों के अध्यधी	न श्री		पुत्र श्री	स्वत्वधारी /	′ प्रबंधक			में स्थित
	जिला		को _		(वन	भूमि या	े क्षेत्र का	ा नाम) से
	(विनिर्दिष्ट पौधे का	नाम)		क	ो तोड़ने, र	जड़ से उर	बाड़ने, प्र <u>ा</u> प	त करने या
एकत्रित करने के	लिए प्राधिकृत किया	गया है और	उसे	τ	गर परिवहन	करने की	अनुज्ञा ल	ागू होने की
तिथि	तथा	समाप्ति व	की तिथि तव	_ह एक मार	स / एक वर्ष	ं की अवधि	ा के लिए	निम्नलिखित
प्रयोजनों के लिए अ	नुमति प्रदान की जाती	है: –						
(ক) খিঞ্জা:								
(ख) वैज्ञानिक अनुस	धानः							
(ग) किसी भी वैज्ञानि	नेक संस्था के वनस्पति	संग्रहालय में	संरक्षण और	प्रदर्शनः				
(घ) केन्द्रीय सरकार	द्वारा इस बाबत अनुम	ोदित किसी व्य	क्ति या संस्थ	ा द्वारा संव	र्धनः			
उपरोक्त	अनुज्ञा—पत्र के वि	त्रेए खजाना	चालान स	ांख्या		दिनां	क	द्वारा
	कारों की कीय गाव	का बी गर्न है	1					

मुख्य वन्य जीव वार्डन (मुहर के साथ जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप —III { देखिए नियम 9(1) } विनिर्दिष्ट पौधों की खेती करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन

1.	आवेदक का नाम		
2.	पेशा		
3.	पता		
4.	क्षेत्र, जिसके लिए विनिर्दिष्ट		
	पौधे की खेती की अनुज्ञप्ति अपेक्षित है।		
5.	अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है।		
6.	खेती किए जाने वाले विनिर्दिष्ट पौधे का नाम		
	मैंने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (197	2 का केन्द्रीय अधिनियम 53) औ	र इसके अधीन बनाए गए
नियमों	को पढ़ लिया है और मैं इनका पालन करने का वचन देता	हूं	
	मुझे उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी प्रजाति	के पौधे की खेती करने का विधि	ाक अधिकार है।
स्थानः_			
तिथिः_			

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप—IV *{ देखिए नियम 9 (3) }* विनिर्दिष्ट पौधों की खेती करने का अनुज्ञा—पत्र

अनुज्ञा–पत्र	संख्या	हि	देनांक		दिन		I			
वन्र	य प्राणी (संरक्षण) ः	अधिनियम, 197	72 (197	२ का केन्द्र	रीय अधिन्	नेयम 53)	और इ	सके अधीन	। बनाए ग	ए नियमों के
उपबन्धों के	अध्यधीन और इस ः	शर्त के साथ वि	के वह र	ोपण सामग्री	ो की खरी	ोद या अप	ने उत्पा	द की बिद्र	ने केवल वि	ोनिर्दिष्ट पौधे
के प्राधिकृत	व्यवहारी से/को	ही करेगा,	श्री				_पुत्र	श्री		निवासी
	जिला	को		_(विनिर्दिष्ट	पौधे का	नाम) की	खेती		_हैक्टेयर	के भूमि क्षेत्र
पर किल	ना संख्या	खसरा	संख्या_		गांव	तहर्स	ोल		_जिला	में
	जोकि	दिन से शु	रू होकर	र और		_दिन को	समाप्त	होने वाली		मास की
अवधि के लि	ए खेती करने की व	मनुज्ञा प्रदान क	गी जाती	है।						
	उपरोक्त	अनुज्ञा–पत्र		के	लिए		_रुपए	की	फीस	खजाना
चलान	वि	नांक		_द्वारा प्राप्त	न हो चुकी	है।				
स्थानः										
तिथिः										
						मुख्य व	न्य जीव	वार्डन,		

हरियाणा।

प्ररूप -V $\left\{ \stackrel{.}{c}degr \stackrel{.}{f}$ तिनिर्दिष्ट पौधे के व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन

सेवा में	
	मुख्य वन्य जीव वार्डन / प्राधिकृत अधिकारी।
1.	आवेदक का नाम
2.	पेशा
3.	чат
4.	विनिर्दिष्ट पौधे का नाम, जिसके लिए
	व्यापार करने की अनुज्ञप्ति अपेक्षित है।
5.	स्थान, जहाँ कारबार किया जाना अपेक्षित है।
6.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता जहां से विनिर्दिष्ट पौधे प्राप्त किए जाने है।
7.	मैंने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के
	पढ़ लिया है और मैं इनका पालन करने का वचन देता हूं।
स्थानः	
तिथिः	

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप —VI *{ देखिए नियम 10(3) }* विनिर्दिष्ट पौधों के व्यापार की अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति	संख्या		दिनांक		दिन				
1.	वन्य जीव	व (संरक्षण) अधि	धेनियम, 1972	(1972 का	केन्द्रीय अधिनिय	म ५३) तथा इ	सके अधीन	बनाए गए	नियमों के
उपबन्धों	के अध्यर्ध	गीन श्री		_पुत्र श्री		नाम	से		गली में
		(नाम)	श	हर		जिला	में	
व्यापार /	दुकान के	स्वत्वधारी / प्र	बन्धक को, इर	सके द्वारा		_से	तक	की अवधि	के लिए
विनिर्दिष्ट	पौधों के	व्यापार के लिए	, प्राधिकृत किर	ग्रा जाता है।					
2.	अनुज्ञप्तिध	यारी निम्नलिखि	त अधिकथित ः	शर्तों का भी प	पालन करेगा:-				
	(ক)	(i)	केवल निम्नर्लि		ट पौधों का ही ०	यापार करेगाः -	-		
	(ख)	अधिनियम या	इसके अधीन	बनाए गए	भाग या उसरे नियमों के अधीर त व्यक्ति, जैसी १	न उन्हें बेचने	तथा या अ	न्यथा स्थानां	
	(ग)	अनुज्ञप्तिधारी,	कारबार, केवल	कारबार के	समय के दौरान	और अनुज्ञप्ति	में निर्दिष्ट प	रिसर में ही	करेगा।
	(ঘ)	अनुज्ञप्तिधारी, कहीं अन्य जग			जो इस अनुर्ज्ञा	प्त में विनिर्दिष	ट किए गए	हैं, में ही र	खेगा और
3.	अनुज्ञप्ति	फीस खजाना	चालान संख्या_		दिनांक		_द्वारा जमा व	कर दी गई ह	<u></u>
4.	अनुज्ञप्तिष	धारी, विनिर्दिष्ट	पौधों की प्रत्येव	क बिक्री का	अभिलेख रखेगा।				

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर।

प्ररूप -VII { देखिए नियम 12(1) }

		संरक्षित क्षेत्रों मे	में दावा आव <u>े</u>	दन				
सेवा में								
कलक्ट	₹							
जिला _	1							
श्रीमान जी,								
मैं	पुत्र	निव	ासी	इसके द्वारा,	घोषणा करता हूं कि	मैं निम्न		
सारणी में विनिर्दिष्ट या १	घोषणा संख्या	दिनांव	<u> </u>	में विनिर्दिष्ट_	अभ्या	रण्य की		
सीमाओं में समाविष्ट भूमि	पर अधिकार रखता	हूँ <u>।</u>						
		सा	रणी					
अभयारण्य में दावाकृत अधिकार का स्वरूप	अभयारण्य में ऐसे अधिकार का विस्तार	यदि अधिव सह–भागिता के रूप में तो उसका	कार आदि है,	अवधि, जिससे ऐसे अधिकारों का उपभोग किया गया है	दावाकृत मुआवजे की राशि तथा विवरण			
1	2	3		4	5	-		
2. मैं इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि संपत्ति सभी ऋणभारों से मुक्त है/या यह कि संपत्ति ऋणभारों के अधीन है (ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)। 3. मैं, इसके साथ अपने अधिकार के स्वरूप तथा विस्तार और उस तिथि, जिससे ऐसे अधिकार का उपयोग किया जा रहा है, को साबित करने वाले दस्तावेज संलग्न करता हूं। 4. आवेदन की तिथि से ठीक पहले के तीन वर्ष के लिए ऐसे अधिकार के कारण प्राप्त किराया या लाभ नीचे दिया गया है: —								
	वर्ष			राष्टि	<u> </u>	-		
तिथिः स्थानः					भवदीय	_		
(जो लागू न	हो, उसे काट दिय	ा जाए)		आवे	दक के हस्ताक्षर।			

प्ररूप —VIII *[देखिए नियम 12(2)]* कलक्टर द्वारा दावा नोटिस

		कलक्टर द्वारा दाव	ा नोटिस	
प्रेषक				
	कलक्टर			
	जिला।			
सेवा में,				
	आपके पत्र दिनांक	के	संदर्भ में।	
	आपको, दिनांक	को	बजे अधोहस्ताक्षरी के ज	समक्ष, आपके ऊपर सन्दर्भित
आपके पत्र में वि	र्गेत दावे के समर्थन में साक्ष्यों,	यदि कोई हों, सिंह	हेत वैयक्तिक रूप में या अभि	नकर्ता के माध्यम से उपस्थित
होने की आवश्यक	ता है।			
			कलक्टर,	
			ਗਿਆ	1

प्ररूप—IX *{ देखिए नियम 14(1) }* आयुध पंजीकरण हेतु आवेदन

		आयुध पंजीकरण	ग हेतु आवेदन					
सेवा में								
	वन्य जीव निरीक्षक	⁄ प्रभारी						
	अभ्यारण्य / राष्ट्रीय	उद्यान						
श्रीमान जी,								
	मैं	<u> </u>		निवासी मकान				
संख्या		गांव		जिला	/			
अभ्यारण्य / राष्ट्री केन्द्रीय अधिनियम		 लोमीटर के भीतर निवास व हे उपबन्धों के अनुसार अपने		न्य जीव (संरक्षण) के पंजीकरण हेतु	अधिनियम, 1972 (1972 का आवेदन करता हूं।			
 मेरे कब्जे के उपबन्धों से छृ 	म जा आयुध ह, उन ट्ट प्राप्त है।	का विवरण निम्न प्रकार हं/	⁄ मुझ आयुध आष	धानयम, 1959 (1959	9 का केन्द्रीय अधिनियम 54)			
अनुज्ञप्ति की क्रम संख्या और जारी करने की तिथि	विवरण सहित प्रत्येक शस्त्र का संक्षिप्त किस्म उदाहरणार्थः ब्योरे जैसे पहचान चिहन् पंजीकरण संख्या इत्यादि के साथ प्रत्येक शस्त्र का संक्षिप्त		क्या अनुज्ञप्ति आत्म रक्षा या प्रदर्शन के लिए है।	तिथि जिस को अनुज्ञप्ति समाप्त होती है	टिप्पणी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट प्रतिधारक, यदि कोई हो, का नाम तथा पता			
1	2	3	4	5	6			
3. मैने पंजीकरण फीस के रूप में								
				आवेदक के	हस्ताक्षर			
				आवेदक का	पूरा पता,			
स्थान तिथि								
		(जो लाग न हो उसे	ने हटा दिया जा	ए)				

प्ररूप —X *{ देखिए नियम 14(3) }* आयुध अनुज्ञप्ति का पंजीकरण

पंजीकृत व	प्रक्ति का नाम		गाँव	गाँव		
जिला		_ अभयारण्य / राष्ट्री	य उद्यान के दस ि	केलोमीटर के भी	तर निवास करता ह	}
क्रम संख्या	अनुज्ञप्ति संख्यांक और जारी करने की तिथि, चाहे अनुज्ञप्ति खेल, के लिए है या व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है या प्रदर्शन के लिए है	अनुज्ञप्तिधारी आयुध रखने का हकदार है, का	गोला बारूद की मात्रा	क्षेत्र, जिसके लिए अनुज्ञप्ति मान्य है	प्रतिधारक का नाम और पता / पतें, यदि कोई हों,	
1	2	3	4	5	6	7
1972 (अधिनियम अधीन ब अधीन वि अपराध	(संरक्षण) अधिनियम, 1972 का केन्द्रीय 53) और इसके नाए गए नियमों के केए गए किसी भी का ब्यौरा, तिथि, ाजा, यदि कोई हो,	द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध का विवरण	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयुध के किसी अन्तरण का विवरण	ब्यौरे	टिप्पणियां	
1	ρ	l a	10	11	12	I

मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी

प्ररूप-XI $\left\{ \begin{array}{c} \dot{q} & \dot{q} & \dot{q} \\ \dot{q} & \dot{q} & \dot{q} \end{array} \right\}$ मूल अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में, आयुध अनुज्ञप्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा में						
उभ्यारण्य / राष्ट्रीय उ	वन्य प्राणी निरीक्षक / प्र उद्यान	भारी				
श्रीमान जी,						
में,		पुत्र स्व.				निवासी
कार्यालय में वन्य उ	गांव_ ! निवास करता हूं। मेरे नीव (संरक्षण) अधिनिय पर पंजीकृत था, जिर	ाम, 1972 (197)	२ का केर्न्द्र	ोय अधिनियम :	के नाम से आयुध अन्	राष्ट्रीय उद्यान के दस नुज्ञप्ति थी, जो आपके उपबन्धों के अनुसार
अनुज्ञप्ति की		इस्तेमाल के प्रत्येक प्रकार	हकदार	क्या	तिथि, जिसको अनुज्ञप्ति समाप्त होती है।	टिप्पणियाँ (अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट प्रतिधारक, यदि कोई हो, का नाम तथा पता)
1	2	3		4	5	6
मैं आपको सूचित करता हूं कि मेरे पिताजी की मृत्यु दिनांकको हो गई है। मृत्यु प्रमाण–पत्र की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ संलग्न है।						
					भवदीय	
					आवेदक के हस्ताक्ष	ार
स्थान तिथि		(-)	, , <u>,</u>	·	आवेदक का पूरा प	ग्ता,
		(जा लीग	। न हो उसे	काट दं)		

प्ररूप—XII { देखिए नियम 16(5)} विनिर्दिष्ट जानवर इत्यादि के परिवहन की अनुमति

	প্রী	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनि	नेयम, 1972 (1972 का केन	न्द्रीय अधिनियम 53) की धारा
44 की	उप—धारा (4) के अधीन प्रदत्त अनु	ज्ञप्ति संख्या	के धारक को इसके ह	द्वारा विनिर्दिष्ट जानवर/जीव
वस्तु / र	संसाधित ट्रोफी / विनिर्दिष्ट पशु से व	युत्पन्न अंससाधित ट्रोफी को	सेर	नक निम्नलिखित विहित रीति
में परिव	हन करने के लिए अनुमति दी जाती	है ।		
1.	परिवहन का ढंग:			
2.	मार्ग:–			
3.	परिवहन के लिए अनुज्ञात अवधि:-			
4.	टिप्पणियाँ			
	मेरे द्वारा	के	दिन को जारी किया गया	1
			हस्ताक्षर	
			मुख्य वन्य जीव वार्ड	न
	मोहरः			
	स्थान			
	तिथि			

प्ररूप—XIII *{ देखिए नियम 16(2)}*

विनिर्दिष्ट जानवर के परिवहन की अनुमति के लिए आवदेन पत्र

वा में,
मुख्य वन्य जीव वार्डन,
हरियाणा। ोमान जी,
मैं निवासी गांव
नला वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 44 की उप—धारा (4) व
धीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति संख्या का धारक, निवेदन करता हूं कि मुझे निम्नलिखित परिवहन की अनुमति प्रदा ो जाए:–
) विनिर्दिष्ट जानवर की प्रजातियां या जिससे जीव वस्तु/संसाधित ट्रोफी/असंसाधित ट्रोफी व्युत्पन्न होती है
) संख्याः
) विवरण, लिंग सहित यदि संभव हो):
) पहचान चिह्न, यदि कोई हो:
) प्राप्ति खरीद का स्रोत और अनुज्ञप्ति / अनुमति संख्या
) स्वामित्व का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो
) परिवहन का ढंग
) मार्ग:
) परिवहन के लिए अपेक्षित अवधिः
0) गंतव्य स्थान
मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य औ पूर्ण है।
आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान
तिथि

(जो लागू न हो उसे काट दें)

प्ररूप–XIV *(देखिए नियम 19)*

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अधीन नोटिस के लिए आवेदन

प्रेषक	
सेवा में,	
	मुख्य वन्य जीव वार्डन,
	हरियाणा पंचकूला।
	सम्बन्धित मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी,
	(मण्डल का नाम)
	ाण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 55 के अधीन नोटिस) चूंकि, वन्य जीव ाम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) के अधीन[(पूर्ण नाम और पता(पते)] द्वारा अपराध किया गया / किया जा रहा है, और चूंकि अपराध (अपराधों) इससे संलग्न हैं;
वन्य जीव (संरक्ष	. इसके द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 55 के अधीन ण) अधिनियम, 1972 की धारा (ओं) का उल्लंघन करने के लिए के न्यायालय मे ठे अपने / हमारे इरादे का साठ दिनों का नोटिस देता हूँ / देते हैं।
· ·	इसके साथ उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने के प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करता स्तावेजी साक्ष्यों में (कथित उल्लंघन/अपराध की जांच समर्थ बनाने के लिए फोटो/रिपोर्ट/गवाह(ाँ) के ब्यान ज्ते हैं)।

आनंद मोहन शरण, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FOREST AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 2nd September, 2025

No. S.O. 72/C.A.53/1972/S.64/2025. – In exercise of the powers conferred by section 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement.

- These rules may be called the Haryana Wildlife (Protection) Rules, 2025. 1. (1)
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

- In these rules, unless the context otherwise requires -2. (1)
 - "Act" means the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972); (a)
 - (b) "Chairperson" means the Chairperson of the State Board of Wildlife;
 - "Divisional Forest Officer (Territorial)" means in-charge of a Territorial (c) Forest Division:
 - (d) "Divisional Wildlife Officer" means officer in-charge of Wildlife Division:
 - "Form" means a Form appended to these rules; (e)
 - "Government" means the Government of the State of Haryana in the (f) administrative department;
 - "Licensee" means a holder of a licence; (g)
 - "Office incharge" means an incharge of a sanctuary or a National Park; (h)
 - "Schedule" means a Schedule to the Act; (i)
 - "Section" means a Section of the Act; (i)
- All other words and expressions, used in these rules but not defined, shall have the (2)same meaning as assigned to them in the Act.

Resignation from Board section 64 (2)

- A non official member of the Board may resign at any time by giving in writing under his hand addressed to the Chairperson personally and such vacancy shall be filled up by a fresh appointment.
- The resignation of non official members shall be permitted to be withdrawn by the Chairperson at any time before it gets accepted. The application for withdrawal of the resignation shall be submitted to the Chairperson in person, under acknowledgement in this respect.

Removalfrom Board section 64 (2)(h).

4.

- The Government may, after such enquiry as it may deem fit, remove any member (other than those who are members, ex officio) of the Board from office, if he
 - is of unsound mind and stands so declared by a competent court; (a)
 - absents himself without the permission of the Chairperson from more than (b) three consecutive meetings of the Board;
 - (c) been adjudged as an insolvent;
 - (d) been convicted of an offence which involves moral turpitude;
 - become physically or mentally incapable of acting as a member; (e)
 - (f) abused his/her position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or
 - acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his (g) functions as a member;
 - (h) misbehaved or indulged in act of gross misconduct.

Filling of interim vacancy section 6(2).

Whenever a non-official member of the Board is removed from office or becomes incapable of acting as such, the Government may nominate a person to fill the vacancy. The person so nominated shall hold the office only for the reminder of the term of the member, in whose place he is nominated.

Hunting of wild animals in certain cases section 11(1) (b) and 12 (bb).

As and when any wild animals specified in Schedule 1 of the Act is observed to be 6. dangerous to human life or is so disabled or diseases to be beyond recovery, any person may report the matter to the Deputy Commissioner or the Divisional Forest Officer (Territorial) or the Superintendent of police of the district concerned, who shall then report the same in writing to the Chief Wildlife Warden. The Chief Wild Life Warden shall then act in the matter in the manner provided for in clause (a) of sub-section (1) of section 11 of the Act.

7. For grant of permit for special purposes under provisions of section 12 of the Act, application shall be made to the Chief Wild Life Warden. Permit for special purpose under this provision of the Act shall be given on the satisfaction of the Chief Wild Life Warden, regarding bonafide of the request. However, permission under section 12 (d) of the act shall be given only with the prior approval from the Government. The permissions shall be issued on a payment of a fee of Rs. 50,000/- (Fifty thousand rupees) in case of Schedule - I animals and Rs. 10,000/- (Ten thousand rupees) in other cases. Any other condition laid down by the Chief Wild Life Warden in the permit, shall be binding, failing which the Chief Wild Life Warden may cancel any such permit/permission. The permit issued under section 12 of the Act, shall be valid for the area specified and for a period as mentioned in the permit.

Grant of permit for special purpose. section 12.

8. (1) Any person desiring to pick, uproot, acquire, transport or collect plant from a forest land or the specified area under section 17-B of the Act, shall make an application to the Chief Wild Life Warden in **Form-I**, for the grant of permit.

Grant of permit for special purpose section 17 (B).

- (2) On receipt of an application under sub-rule (1), the Chief Wild Life Warden shall after making such inquiry as he may deem fit, forward the case with his recommendations to the Government for a decision on the application. In case the application is accepted, the applicant shall have to deposit an amount of Rs. 5000/- (Five Thousand rupees) as fees in the treasury in favour of the Chief Wild Life Warden, Haryana.
- (3) The Chief Wild Life Warden shall issue the necessary permit in **Form-II**, after the deposition of fees, specifying the area from where the specified plant is to be picked up, uprooted, acquired, collected or transported and the period of validity of such a permit.
- (4) In case the application is rejected, the Chief Wild Life Warden shall inform the applicant in writing stating the reasons thereof.
- **9.** (1) Any person desiring to cultivate any specified plant shall make an application for the grant of a licence in **Form-III** to the Chief Wild Life Warden or any other officer authorized by the Government.

License for cultivation of specified plants section 17 (C).

- (2) In case the application is accepted, the applicant shall have to deposit an amount of Rs. 5000/- (Five thousand rupees) as fees in the Treasury, in favour of the Chief Wild Life Warden, Haryana.
- (3) The Chief Wild Life Warden shall issue the necessary licence in **Form-IV**, after the deposition of specified fee.
- (4) Every licence granted under this rule, shall specify the area of cultivations condition, if any, subject to which the licensee shall cultivate a specified plant.
- (5) If the application is rejected, the Chief Wild Life Warden or the authorized officer shall inform the applicant in writing stating the reasons thereof.
- 10. (1) Any person desiring to commence or carry on business or occupation as a dealer in any specified plant or part or derivative thereof, shall make an application for the grant of a licence in Form-V to the Chief Wild Life Warden or any other officer authorized by the Government.

Dealing in specified plants section 17 (D).

- (2) In case the application is accepted, the applicant shall have to deposit an amount of Rs.12000/- (Twelve Thousand rupees) as fees in the treasury, in favour of the Chief Wild Life Warden.
- (3) The Chief Wild Life Warden shall issue the necessary licence in **Form-VI**, after the deposition of the specified fee by the applicant.
- (4) If the application is rejected, the Chief Wild Life Warden shall inform the applicant in writing stating the reasons thereof.
- (5) (i) Every licensee shall at the time of sale, issue a bill or cash memo to the purchaser and such a bill or cash memo shall contain the following particulars, namely: -
 - (a) Name of Licensee;
 - (b) Name, address and place of business of licensee;
 - (c) Licencenumber;
 - (d) Description of article sold;
 - (e) Sale price thereof;
 - (f) Date of sale;
 - (g) Signature of licensee;

(ii) Every bill/cash memo shall be in duplicate and serially numbered. The duplicate copy shall be retained by the licensee and the original copy shall be given to the purchaser.

Issue of duplicate licence.

General

conditions

of permit section 28(2).

governing issue

Claim in prescribed form section 21 (b).

- 11. Where a licence/permit issued or renewed under sub-rule (1) of rule 10 is lost or accidentally destroyed, the Chief Wild Life Warden on receipt of an application from the licensee shall issue a duplicate licence on payment of a fee of Rs. 500/- (Five hundred rupees).
- **12.** (1) Any person affected by the notification of an area as a sanctuary issued under section 18 of the Act may file a written claim in **Form VII** mentioning the nature and extent of his rights under section 19, or sub-section(2) of section 36-A or sub-section (2) of section 36-C of the Act.
- (2) On receipt of the claim made under sub-rule (1), the Collector shall serve a notice in **Form VIII**, upon the claimant, requiring him to appear either in person or through an agent authorized by him on his behalf at such place, time and on such date as may be specified in the notice and to produce evidence, oral or documentary, in support of his claim.
 - (3) The decision on the claim notice shall be taken within thirty days the Collector.
- **13.** (1) A permit issued under section 28 of the Act shall specify the following particulars, namely: -
 - (a) purpose of entry;
 - (b) duration of visit:
 - (c) areas permitted to be visited;
 - (d) places where camping is permitted;
 - (e) engagement of guides; and
 - (f) any other particular/conditions as the Chief Wild Life Warden may deem fit.
- (2) If a person does not comply with the terms and conditions as mentioned in his permission letter of the permit, then the permit may be cancelled by the Chief Wild Life Warden.
- (3) The application under sub-rule (I) shall be accompanied by a treasury challan or bank receipt/or cash receipt in favour of Chief Wild Life Warden, in which fees shall be paid as follows:

Sr. No.	Fees and tariff	Indian (in Rs.)	Foreigner (in Rs.)
1	Adult	50	200
	Child(5-12 years)	30	
2	Road fee for vehicle	100	100
3	Camera		
	A. Still	50	100
	B. Movies	2500	5000

Registration of persons holding arms section 34 and 35(8).

- 14. (1) Every person residing in or within ten kilometers of a Sanctuary or National Park and holding a licence granted under the Arms Act, 1959, (Central Act 54 of 1959), for the possession of arms or exempted from the provisions of that Act shall apply within one month from the declaration of an area as a Sanctuary or National Park, to the Chief Wild Life Warden or the authorized officer by Chief Wild Life Warden for the registration of his name in **Form IX**.
- (2) The application under sub-rule (I) shall be accompanied by a treasury challan or bank receipt or cash receipt of the payment of Rs. 1200/- (One thousand two hundred rupees) in favour of Chief Wild Life Warden.
- (3) On receipt of an application under sub-rule (I), the incharge of the Sanctuary or National Park shall after making such inquiry, as he may deem fit, within a period of three month send the case for registration to the Chief Wild Life Warden or concerned Chief Conservator of Forest (Wildlife)/Divisional Wildlife Officer who shall register the name and other particulars of the applicant in **Form-X**.
- (4) Whenever a licensee commits any offence under the Act or the rules made there under, the Divisional Wild Life Officer shall make an enquiry to that effect, and if satisfied that the licensee has committed the said offence on more than one occasion, he may take such steps as he considers necessary to recommend the authority concerned for cancelling his licence issued under the Arms Act, 1959 (Central Act 54 of 1959).

Taxidermy or

article

section 44.

making animal

Transport of wild animals etc

section 48.

- (5) Where the licensee transfers his arms to another person by way of sale, gift or otherwise, he shall intimate about the same to the authorized officer incharge of the Sanctuary or National Park within a period of fifteen days of such transfer.
- (6) Where the licensee shifts his residence to another place within the said ten kilometers or beyond, he shall within a fortnight of his shifting to the new residence, intimate the new address to the authorized officer incharge of the Sanctuary or National Park.
- (7) When a licensee dies, his successor or legal representative shall intimate this fact to the Chief Wild Life Warden in **Form-XI**.
- (8) The Chief Wild Life Warden, after making inquiry as he may deem fit, allow registration of the name of the person in the register and shall inform the person concerned in respect of the registration of his name.
- **15.** (1) Every licensed taxidermist or licensed manufacturer shall, at the time of returning the trophy or animal article, issue a voucher to the owner of the said trophy or animal article.
 - (2) Each voucher shall contain the following particulars, namely: -
 - (a) date of issue of voucher;
 - (b) amount realized or to be realized;
 - (c) name and address of the licensed taxidermist/manufacturer issuing the voucher;
 - (d) name and address of the person to whom the voucher is issued;
 - (e) whether uncured trophy/ trophy/animal article was required to be declared under section 40 or section 44 of the Act, and if so, whether it has been declared:
 - (f) signatures of the licensed taxidermist/manufacturer issuing the voucher;
 - (g) signatures of the person to whom the voucher is issued.
- (3) Every permission surrendered to a licensed dealer at the time of sale referred to in sub-rule (1) of rule 15 shall also be enclosed along with the aforesaid duplicate copies.
- **16.** (1) Every licensee under section 44 of the Act shall transport any wild animal, animal article, trophy or uncured trophy derived there from, or specified plant from one place to another within State except with the previous permission of the Chief Wild Life Warden.
 - shall be
- (2) Every application for such permission shall be made in **Form-XII** and shall be accompanied with a fee of Rs. 500/- (Five Hundred rupees).
- (3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the Chief Wild Life Warden may, after making such inquiry as he may think fit, and within a period of seven days from the date of receipt of the application, either grant or refuse to grant the permission:

Provided that no such permission shall be granted unless the authorized officer is satisfied that the specified animal or animal article, trophy or uncured trophy referred to in sub-rule (l) has been lawfully acquired.

- (4) Where the Chief Wild Life Warden refuses to grant the permission, he shall record the reasons for doing so and a copy of the reasons so recorded shall he communicated to the licensee applying for the permission.
 - (5) Every permission granted under sub-rule (3) shall bein **Form-XIII**
- 17. (1) The voucher referred in rule 15 shall be in triplicate and serially numbered.
- (2) The duplicate and the triplicate copy of the voucher shall be retained by the licensed dealer, licensed taxidermist or licensed manufacturer and the original copy of the voucher shall be given to the taxidermist and licensed manufactures referred to in clause (f) of sub-rule (2) of rule 15.
- (3) Every book containing blank vouchers shall be presented to the Chief Wild Life Warden for affixing his initials on stamps in such book before it is brought into use.
- (4) Every licensed dealer, licensed taxidermist, or licensed manufacturer shall send the duplicate copies of vouchers retained by him to the Chief Wild Life Warden on a monthly basis, not later than the seventh day of every month.
- **18.** (1) Where any meat, uncured trophy, specified plant or part or derivative thereof is ceased under the provisions of Section 50, the Chief Wild Life Warden or the authorized officer may arrange for the disposal of the same in the following manner:-

Maintenance of vouchers.

Disposal of seized animal product section 50(6).

- (a) The Chief Wildlife Warden or an officer authorized by the Government, as the case may be, may by order incineration of such meat, uncured trophy, specified plant or part or derivative thereof at such place and such date and time as mentioned in the order.
- (b) The incineration shall be conducted in the presence of a committee constituted by the Chief Wildlife Warden for this purpose, consisting of the following Members, namely:-
 - (i) an officer not below the rank of Divisional Wildlife Officer having custody of such property;
 - (ii) an officer not below the rank of Veterinary Surgeon;
 - (iii) an officer/official not below the rank of Wildlife Inspector;
 - (iv) A representative of the Local Gram Panchayat.
- (2) The Committee shall submit a report on the incineration to the Chief Wild Life Warden, within a period of ten days from the date of incineration.

Notice regarding cognizance of the offences section 55 (C). 19. Any person intendsto give notice under clause (s) of section 55 of the Act shall give notice for a period of not less than sixty days in the **Form-XIV** of the alleged offence and of his intention to make a complaint to the Chief Wildlife Warden and concerned Divisional Wildlife Officer.

Repeal and savings.

20. The Wild Life (Protection) Haryana, Rules, 1974 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed, shall be deemed to be made or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM-I

[see rule 8 (1)]

APPLICATION FOR OBTAINING THE PERMIT TO PICK UP UPROOT, ACQUIRE, COLLECT OR TRANSPORT SPECIFIED PLANTS.

The Chief Wild Life Warden, Haryana. 1. Name of Applicant 2. Profession 3. Address	
 Name of Applicant Profession 	
2. Profession	
3. Address	
4. Purpose for which the	
permit is required	
5. Period for which permit	
is required	
(Not more than a year)	
6. Name of specified plant for	
which permit required	
7. Area from which the specified	
plant is to be acquired.	
8. Name of place from where	
specified plant is to be transported	
I have read the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972) and the rules made to	here
under and undertake to abide by the same.	
Place	
Date	

Signature of the applicant

FORM-II

[see rule 8(3)]

PERMIT FOR COLLECTION FOR PICKING UPROOTING OR ACQUIRING OR TRANSPORTING SPECIFIED PLANTS

Permit N	No		dated t	he		_day _		·					
Subject t	to the	e provisions of	the Wild Life	(Protection)	Act,	1972	(Central	Act 53 o	f 1972) and r	ules made	e there	under
Sh				S/	O Sh.						Proprie	tor/Ma	nager
				situated in _				dist	rict _			_ is h	ereby
authorize	ed t	to pick, upro	oot, acquire	or collec	t			(n	ame	of sp	ecified p	olant)	from
			(forest la	nd or area) a	and al	lowed	to trans	sport the	same t	о			for a
period o	of on	ne month/year	from comm	nencing on	the da	ay			a	nd end	ling with	the d	ay of
		fo	r the following	ng purpose:-									
(a	a)	Education											
(b	b)	Scientific rese	arch										
(0	c)	Preservation a	nd display in	a									
		herbarium of a	ny scientific										
		institution.											
(0	d)	Propagation by	y a person or	an institutio	n								
		approved by th	ne Central Go	vernment in									
		this/her regard											
T	`he	fee Rs			for	the	above	permit	has	been	received	vide	TC
No			_dated										
										(C	hief Wild	life Wa	rden)

(Signature of the issuing authority with seal)

FORM-III

[see rule 9(1)]

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE FOR CULTIVATION OF SPECIFIED PLANT

1.	Name of Applicant		
2.	Profession		
3.	Address		
4.	Area for which cultivation		
	licence for specified plant		
	is required.		
5.	Period for which licence		
	is required.		
6.	Name of specified plant to		
	be cultivated		
Ιh	nave read the Wild Life (Protection	on) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972) ar	nd rules made there under and
under tak	e to abide by the same.		
I h	ave the legal rights to cultivate any	y species of plants on the area specified abo	ve.
Place:			
Dated:			

Signature of the applicant.

Date:-----

FORM-IV

[see rule 9(3)]

PERMIT FOR CULTIVATION OF SPECIFIED PLANTS

Permit No	dated, th	ne	_day		·	
Subject to the provisions of the W	vild Life (Protect	ion) Act, 1972 (Central A	et 53 of	1972) and r	ules made
there under and with a condition that he wi	ll purchase the p	lanting material	or sell his	/her proc	luce only fr	om and to
and authorized dealer of specified plants,	Sh	S/	O Sh			R/O
	District _		is 1	hereby	permitted	cultivate
(name of s	pecified plant) or	ı Land area of _		hectar	res comprisi	ng of Kila
No, Khasra No	o	f village		, Tehs	il	,
District for a period of _	m	onths, commenc	ing on the	day		
and ending with the day of						
The fee Rs.		_ for the abov	e permit	has bee	n received	vide TC
No dated		·				
				Chief	Wild Life W	/arden,
Place :				Harya	na.	

FORM-V

[see rule 10(1)]

Application for grant of licence for dealing in specified plants

To		
	The Chief Wild Life Warden/Authorised Officer.	
1.	Name of applicant	
2.	Profession	
3.	Address	
4.	Name of specified plant	
	for which licence of	
	dealing is required.	
5.	Location where the business	
	is required to be carried.	
6.	Name and Address of the	
	Licencee from where the	
	specified plants are to be	
	obtained.	
I	I have read the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972) and rules made	de there under and
underta	ke to abide by the same.	
Pla	ace:-	
Dat	ted:-	

Signature of the applicant

FORM-VI

[see rule 10(3)]

LICENCE FOR DEALING IN SPECIFIED PLANTS

		Licence No	dated the	day of					
1.	Subj	ect to the provisions	of the Wild Life (Protect	tion) Act, 1972 (Central Act 5	53 of 1972) and rules made				
	there	under Sh		S/o Sh	Proprietor/Manager				
	of bu	usiness/shop by the	name	situated in street	in town				
		in I	District	is hereby authorized to d	eal in specified plants for a				
	perio	od from	to	·					
2.	The l	The Licencee shall also abide by the conditions laid down below:-							
	(a)	The licencee shall	only deal in the following	specified plants:-					
		(i)							
		(ii)							
		(iii)							
	(b)	The licencee shall	purchase, receive or acqu	ire specified plants or part or d	lerivate there of only from a				
		dealer or person lic	enced, as the case may be	, authorised to sell or otherwise	e transfer the same under the				
		Act or the rules ma	de thereunder.						
	(c)	The licensee shall of	carry on business only dur	ing business hours and at prem	ises quoted in the licence.				
	(d) The licensee shall keep his/her stock on the premises which is specified in this licence and								
		else.							
3.	The l	licence fee has been d	eposited vide TC No	dated					
4	The l	icensee shall keen the	e record of each sale of sp	ecified plants					

Signature of issuing authority

FORM-VII

[see rule 12(1)]

CLAIM APPLICATION IN PROTECTED AREAS

То				
The Collec	tor,			
	District			
Sir,				
I		S/o		resident of
	hereby decla	re that I have the rig	ht specified in the tabl	e below in or over the land
	-		_	d to in proclamation No.
				1
		<u>Table</u>		
Name of right	Extent of such	If the rights are	Period from which	Amount and particulars of
Claimed in the	rights in the	shared as a co-	such right are	compensation claimed
Sanctuary	sanctuary	parcenar, Etc.,	enjoyed	
		details thereof		
1	2	3	4	5
(specify the details).				operty is under encumbrances date from which such right is
being enjoyed.				
4. The rents of	or profits received on a	ccount of such right f	or the three years imme	ediately preceding the date of
application are set for	orth below:-			
Y	ear		Amount	
Di	ate			
Pl	ace			Your Faithfully,
(Strike out whi	chever is not applicable	e)	Sio	enature of the applicant

FORM-VIII

[see rule 12(2)]

CLAIM NOTICE BY THE COLLECTOR

From															
	T	he Collec	tor,												
	_		District												
То															
	_														
	_														
	_														
	W	Vith refere	ence to you	ır lett	ter, dated	the .						,			
you	are	hereby	required	to	appear	in	person	or	through	an	agent	before	the	undersig	ned at
				on_					along	g with	n the ev	vidence,	if any	in suppor	t of the
claim	men	tioned in	your letter	refe	rred to al	ove.									
												Coll	lector,		
														District	

FORM-IX

[see rule 14(1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF FIRE ARMS

To,						
	Inspector Wild Li	fe/Incharge.				
	Sanctuary/Nation	al Park				
Sir,						
	Ι,	S/o		resi	dent of H.	No
vi	llage	District		live wit	hin ten kilometers	of
	Sanct	uary/National Parl	k and apply for the	he registration of	my name and addres	s in
accordance with t	the provisions of se	ection 34 of the Wi	ld Life (Protection) Act, 1972 (Centra	al Act 53 of 1972).	
2.	The particulars of	the arms possesse	d by me are as und	ler/ I am exempted	from the provisions of	f the
Arms Act, 1959 (Central Act 54 of	1959).				
Sr. No. of licence and date of issue	Brief description of each weapon with details, e.g. distinguishing marks, register number etc.	Quality and description of each kind of ammunition entitled to process	Whether licence is for self protection or display	Date on which licence expires	Remarks (Name and address of retainers, if any specific in the licence)	
1	2	3	4	5	6	
Rs		t/bank challan No _ being the registra erewith for verifica	ation fee.	and return. Ye	our faithfully, gnature of the Applica	_for

Full address of the applicant place and date

(Strike out whichever is not applicable).

FORM-X

[see rule 14(3)]

REGISTRATION OF ARM LICENCE

Name of registered person					Profession					
				V	illage		District.			
(residing	within te	n Kilomet	ers of		Sanctuar	y/National Park.)				
No. and issue licenspo prote		nd date of the		nd ammunition ence is entitled sess particulars of arms	Quantity of ammunition	Area for which licence is valid	Name and address addresses of retainers, if any			
1		2		3	4	5	6			
	n which expires	Particu any of communder th Life (F 1972 of Rules there u Date, j punishmany,	fence nitted ne Wild P) Act, or the made under, place, nent, If	Particulars of any second or subsequent offence committed	Particulars of any transfer of arms by the licensee		f Remarks			
	7	8	}	9	10	11	12			

Divisional Wild Life Officer

FORM-XI

[see rule 14(7)]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF ARMS LICENCE IN CASE OF DEATH OF THE ORIGINAL LICENSEE

To,							
Iı	nspector Wild Life/I	ncharge.					
S	anctuary/National P	ark					
Sir,							
I,		S/o	Late	Sh		re	sident of H. No
villa	ge	District				live within	ten kilometers of
	Sanctuary	y/National Parl	k. My	father had	namely	Sh	have a licence
of weapon and his/	her name and addre	ess registered	in yo	our office a	s per pro	ovisions of section	34 of the Wild Life
(Protection) Act, 19	972 which detail is a	as under :-					
(, . ,,							
Sr. No. of licence and date of issue	Brief description of each weapon with details, e.g. distinguishing marks, register number etc.	Quality description each kind ammunition entitled process	and of of to	Whether is for protection display	self	Date on which licence expires	Remarks (Name and address of retainers, if any specific in the licence)
1 2	3		4	5		6	
3. I inform t	o you that my fath	er died on da	ted		A co	py of death certifi	cate is enclosed for
information and neo	cessary action.						
							Your faithfully,
Full address of the	applicant place and	date				Signatu	re of the Applicant

(Strike out whichever is not applicable).

FORM-XII

[see rule 16(2)]

APPLICATION FOR PERMISSION TO TRANSPORT SPECIFIED ANIMAL

To	
	The Chief Wild Life Warden,
	Haryana.
Sir,	
	IS/o residing at Village
	District holding Licence No granted under
sub se	ection (4) of section 44 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), request that I may be granted
permis	ssion to transport the following.
(1)	Species of specified animal or from which the animal article/cured trophy/uncured trophy is derived
(2)	Number:
(3)	Description (including sex, if possible):
(4)	Identification mark. If any
(5)	Source of procurement and the Licence Permission No
(6)	Certificate of Ownership, if any
(7)	Mode of transport
(8)	Route
(9)	Period required for transport
(10)	Destination
2.	I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the information furnished herein is true and
compl	lete.
Place	Signature of the Applicant
Date:	

(Strike out whichever is not applicable).

FORM-XIII

[see rule 16(5)]

PERMISSION TO TRANSPORT SPECIFIED ANIMAL ETC.

Sh	
the V	Vildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), is hereby permitted to transport in the manner prescribed below
speci	fied animal/animal article/cured trophy/uncured trophy derived from specified animal from
to	
(i)	Mode of transport:-
(ii)	Route:-
(iii)	Period allowed for transport:-
(iv)	Remarks:-
	Signature
	Chief Wildlife Warden
Seal:	
Place	:
Date	

FORM-XIV

[see rule 19]

APPLICATION FOR NOT	TICE UNDER SECTION 55 OF THE WILD LIFE (PROTECT)	ION) ACT, 1972
From:		
То,		
Chief Wildlife Warden,		
Haryana, Panchkula.		
Concerned Divisional Wild Lif	fe Officer	
(1)	Name of Division)	
(Notice under section 55 of th	ne Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972)	
Whereas an offence u	under the Wild Life (Protection) Act, 1972 has been committed/is b	being committed by
[Full name (s) and complete ad	ldress (s)	
[
	And whereas the brief facts of the offence	e (s) are enclosed;
I/we hereby give notice	ce of 60 days under section 55 of the Wild Life (Protection) Act, 19	72 my/our intention
to file a complaint in the court	t of for violation of section (s)	of the
Wild Life (Protection) Act, 197	72.	
I am/we are enclosing	ng the following documents as evidence of proof of the violation	on of the said Act.
(Documentary evidence may	include photographs/reports /statements of witness(es) for enabling	ng enquiry into the
alleged violation/offence).		

ANAND MOHAN SHARAN, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Environment, Forests and Wildlife Department.